



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082026-275382
CG-DL-E-11082026-275382

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4281]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2026/श्रावण 20, 1948

No. 4281]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2026/SHRAVAN 20, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2026

का.आ. 4459(अ).— केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36] (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'जिला विधि सेवा प्राधिकरण, पंचकुला' (पैन: AAAGC0054R), जो 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' (1987 का 39) द्वारा गठित एक प्राधिकरण है, को उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

(क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के प्रयोजन के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्राधिकरण यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण यानी हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान;

(ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार या हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान या दान;

(ग) न्यायालय के आदेश के तहत प्राप्त राशि;

(घ) भर्ती आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त शुल्क; तथा

(ङ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन निम्न शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'जिला विधि सेवा प्राधिकरण, पंचकुला' (पैन: AAAGC0054R),-

(क) किसी भी व्यावसायिक कार्यकलाप में संलिप्त नहीं होगी;

(ख) उक्त अधिनियम, 2025 की धारा 263(9)(ग)(xiii) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगी; तथा

(ग) कार्यकलापों और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे कर वर्षों में अपरिवर्तित रहेगी।

3. पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36] के तहत छूट वापस ले ली जाएगी और उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी।

4. यह अधिसूचना कर वर्ष 2026-27 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 113 /2026/फा. सं. 300196/6/2026-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2026

S.O. 4459(E).— In exercise of the powers conferred by Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with section 11 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'District Legal Service Authority, Panchkula' (PAN: AAAGC0054R), an Authority constituted by the 'Legal Services Authorities Act, 1987' (39 of 1987), in respect of the following specified income arising to the said body namely: -

- (a) grants received from the Punjab and Haryana High Court, the Central Authority i.e. the National Legal Services Authority and the State Authority i.e., Haryana State Legal Services Authority for the purpose of the Legal Services Authorities Act, 1987(39 of 1987);
- (b) grants or donation received from the Central Government or the State Government of Haryana for the purposes of the Legal Services Authorities Act, 1987(39 of 1987);
- (c) amount received under the order of the Court;
- (d) fees received as recruitment application fee; and
- (e) interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that ‘District Legal Service Authority, Panchkula’ (PAN: AAAGC0054R), -
- (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) shall file return of income in accordance with the provisions of section 263(9)(c)(xiii) of the said Act; and.
 - (c) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the tax year.
3. Failure to comply with the conditions specified in paragraph 2 shall result in withdrawal of exemption under Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with section 11 and initiation of proceedings under the said Act.
4. This notification shall be applicable for the tax year 2026-27.

[Notification No. 113 /2026/F. No. 300196/6/2026-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.